टंकी बनने के बाद भी नहीं मिला पानी, लोग हो रहे परेशान

पड़ताल

संवाद न्यूज एजेंसी

बिनौली। पिचौकरा गांव में पेयजल टंकी बनने के छह माह बाद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा। कई जगहों पर पाइपलाइन लीक होने से जलभराव भी हो रहा है, इसलिए पूरे गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। लोगों ने जल निगम के अफसरों से समस्या का समाधान कराने की मांग की।

पिचौकरा गांव निवासी विपिन कुमार, निखिल, श्याम सिंह, महबूब, इसरार, इस्लाम, धर्मवीर और नरेश आदि ने बताया कि जल निगम की तरफ से गांव में पेयजल टंकी का निर्माण कराया गया, जो छह माह पहले बनकर तैयार हो गई थी। सड़कों की खोदाई करके पाइपलाइन भी डाल दी गई थी। जल निगम के कर्मियों ने टंकी से पेयजल आपूर्ति शुरू करा दी, लेकिन घरों में पानी नहीं पहुंच रहा।

गांव में जगह-जगह पाइपलाइन लीक होने के कारण गलियों में जलभराव और कीचड़ फैला हुआ है। इसकी वजह से पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत प्रधान और जल निगम के अफसरों से की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं कराया गया तो कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

पिचौकरा गांव स्थित पेयजल टंकी। संवाद

पिचौकरा गांव में पाइपलाइन लीक हो रही, अफसरों से समस्या का समाधान कराने की उठाई मांग

पाइपलाइन को ठीक कराने का काम चल रहा है। जल्द ही पाइपलाइन ठीक कराकर पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति शुरू करा दी जाएगी।

-अनुज कुमार, अवर अभियंता जल निगम ग्रामीण

बोले स्थानीय लोग...

टंकी से गांव के कुछ घरों में ही पेयजल आपूर्ति दी जा रही है, जबकि अधिकांश लोगों को सबमर्सिबल और सरकारी हैंडपंपों से पानी भरना पड़ता है। जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाए। -अमरवीर कश्यप, ग्रामीण

पाइपलाइन लीक होने के कारण गलियों में जलभराव होने से कीचड़ फैला हुआ है, जिसमें लोग फिसलकर गिरते रहते हैं। जल्द ही पाइपलाइन ठीक कराई जाए और पेयजल आपूर्ति शुरू कराई जाए।

-लोकेंद्र कुमार

मेरी आवाज सुनो...

तालाब में गंदगी का ढेर, लोग परेशान

सैदभर गांव में तालाब पर अतिक्रमण होने के कारण पानी निकासी तक नहीं हो पा रहा है। तालाब में गंदगी का ढेर लगा हुआ है और सफाई नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे गांव में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। जनप्रतिनिधियों व अफसरों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान तक नहीं हो रहा है। इससे लोगों में रोष है। अफसरों को संज्ञान लेकर समस्या का समाधान कराना चाहिए। -संजय, सैदभर

आप भी भेज सकते हैं अपने क्षेत्र की ऐसी किसी समस्या की जानकारी जो लोकहित से जुड़ी हो और जिसकी सुनवाई न हो रही हो। व्हाट्सएप - 9193786726 मेल आईडी mrt-dakincharge@mrt.amarujala.com

केंद्र व प्रदेश सरकार कर रही किसानों का उत्पीड़न : अखिलेश

दोघट। कांग्रेस की किसान अधिकार यात्रा की तैयारियों को लेकर आजमपुर मुलसम गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इसमें सरकार की किसान विरोधी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने किसान अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए शनिवार को क्षेत्र के आजमपुर मुलसम, बिलाना, फौलादनगर, बोपुरा, दाहा, शाहजहांपुर आदि गांवों में जनसंपर्क किया। उन्होंने सभी से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया और कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। इस दौरान ओमवीर तोमर, शीतल मान, किसान कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी राकेश शर्मा और अतर सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद

सफाई कर्मियों ने किया हंगामा, दिया धरना

चेयरमैन की जिम्मेदारी न देने के कारण आउटसोर्स वाले सफाई कर्मियों को नहीं मिला वेतन

संवाद न्यूज एजेंसी

रटौल। नगर पंचायत रटौल के आउटसोर्स सफाई कर्मियों ने दो माह से वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल रखकर दूसरे दिन भी कार्यालय पर हंगामा किया और वहां धरने पर बैठे रहे। इसके चलते शनिवार को सफाई व्यवस्था पूरी तरह धड़ाम हो गई और जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे रहे। कर्मियों ने वेतन मिलने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी।

नगर पंचायत कार्यालय में धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी की। मन्नू, जोगेंद्र, दानिश और आस मोहम्मद आदि ने कहा कि दो माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अफसरों से शिकायत कर वेतन दिलाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन चेयरमैन नहीं होने की बात कहकर वेतन जारी नहीं किया गया। वेतन की मांग को लेकर उन्होंने शुक्रवार को उन्होंने हड़ताल कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया।

इसके चलते शनिवार को भी सफाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वेतन मिलने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। धरना देने वालों में मन्नू, जोगेंद्र, दानिश, आस मोहम्मद, विकास, पूनम, कुसुम और बसंत समेत अन्य मौजूद रहे। इस मामले में नगर पंचायत की ईओ आस्था पाठक का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की समस्या से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है, जल्द ही समाधान कराया जाएगा। एडीजे के न्यायालय ने पांच महीने पहले चेयरमैन रहे जुनैद फरीदी का नामांकन गलत जानकारी होने के कारण निरस्त कर दिया था। उसके आधार पर तत्कालीन डीएम अस्मिता लाल ने दूसरे स्थान पर रहे मुंतजिर को चेयरमैन घोषित कर शपथ दिलवाई थी।

इस आदेश के खिलाफ जुनैद फरीदी हाईकोर्ट गए तो एक महीने पहले हाईकोर्ट ने एडीजे न्यायालय व डीएम के सभी आदेश निरस्त कर दिए। जुनैद फरीदी का आरोप है कि इसके बाद भी उनको चेयरमैन का चार्ज नहीं दिया जा रहा है।

उनका कहना है कि शासन के विशेष सचिव सत्यप्रकाश पटेल ने इस मामले में डीएम को पत्र भेजा है कि पहले भी उन्होंने ही अपने स्तर से कार्रवाई की थी और अब वह अपने स्तर से ही इसमें फैसला लेकर कार्रवाई करें।

रटौल नगर पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन करते सफाई कर्मचारी। स्रोत : वर्गी

109 शिकायतों में मात्र 11 का हुआ निस्तारण

बागपत/बड़ौत/खेकड़ा। जिले की तीनों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अफसर 109 शिकायतों में मात्र 11 का ही निस्तारण कर सके। संबंधित विभागों को शिकायतों को सौंपते हुए 15 दिन में निस्तारण के आदेश दिए। बागपत तहसील में सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का समय से निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने 57 शिकायत में मात्र पांच शिकायत का निस्तारण कर संबंधित विभागों को सौंप दिया। उन्होंने राजस्व, बिजली, जल आपूर्ति, से संबंधित मामलों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बड़ौत तहसील में एसडीएम बाल कृष्ण सिंह ने 40 शिकायतों में से चार का निस्तारण किया। खेकड़ा तहसील में एडीएम राजीव कुमार राय ने 12 में से दो शिकायतों का निस्तारण किया। इस दौरान सीएमओ डॉ. तीरथलाल, डीएफओ विनोद कुमार और परियोजना निदेशक राहुल वर्मा मौजूद रहे। संवाद

लेखपालों ने तहसील में दिया धरना

तहसील परिसर में दिया धरना, आठ से प्रमाणपत्र का कार्य बंद करेंगे

संवाद न्यूज एजेंसी

बड़ौत। वेतनमान बढ़ाने और वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को लेकर लेखपालों ने तहसील दिवस का बहिष्कार कर शनिवार को तहसील परिसर में धरना दिया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की।

एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में प्रारंभिक वेतनमान 2800 ग्रेडपे के अनुसार करने, वेतन विसंगति दूर करने, मंडल से बाहर नौकरी कर रहे लेखपालों के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलकर इच्छुक लेखपालों का ट्रांसफर उनके मंडल में किया जाए। 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची तत्काल जारी करके इसका लाभ दिया जाए। वर्ष 2024 का विभागीय परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किया जाए। इनके अलावा स्टेशनरी व वाहन भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष मोहित तोमर ने कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आठ अक्तूबर से आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र और फार्मर रजिस्ट्री आदि का सत्यापन करने का बहिष्कार किया जाएगा।

10 अक्तूबर को काली पट्टी बांधकर थाना दिवस का बहिष्कार करेंगे। 12 अक्तूबर को जिला व तहसील मुख्यालय पर रक्तदान करेंगे और 14 अक्तूबर को बाइक रैली निकालकर कलक्ट्रेट पर डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, तहसील मंत्री अश्वनी कुमार, अजय तोमर, प्रदीप मित्तल, अंकित ढांगी, अंकित पंवार और प्रशांत संधु आदि उपस्थित रहे।

वहीं एसडीएम बालकृष्ण सिंह ने ज्ञापन को शासन को भेजने का आश्वासन दिया।

बड़ौत में तहसील में धरने पर बैठे पर लेखपाल। संवाद

नशा मुक्ति को लेकर बैठक में शामिल पदाधिकारी व ग्रामीण। स्रोत : आयोजक

नशे के खिलाफ सहयोग करने का लिया संकल्प

बागपत। डिकौली गांव में शनिवार को नशा मुक्त बागपत संध्या कार्यक्रम किया गया। यहां युवाओं ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने में सहयोग करने का संकल्प लिया। समाजसेवी कपिल त्यागी ने कहा कि नशे से दूर रहने पर युवाओं का स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता बेहतर रहेगी। इससे उन्हें सेना, पुलिस तथा अन्य सरकारी नौकरियों की भर्ती की तैयारी में सहायता मिलेगी। जिला जाट महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट सोमेंद्र ढाका ने कहा कि नशे के विरुद्ध इस मुहिम में सभी को जुड़ना होगा। इस दौरान संदीप प्रधान, बाबा जीत सिंह, जय कुमार प्रधान, राजू, रामवीर सिंह, तरुण फौजी और नीरज ढाका आदि मौजूद रहे। संवाद

लेखपालों ने संपूर्ण समाधान दिवस का किया बहिष्कार

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मांगें पूरी नहीं होने पर 24 अक्तूबर से धरने की दी चेतावनी

संवाद न्यूज एजेंसी

खेकड़ा। लेखपालों ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर तहसील में धरना दिया। एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और मांगें पूरी नहीं होने पर 24 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की चेतावनी दी।

लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष संजीव कुमार और सचिव विजय कुमार ने कहा कि लेखपाल लगातार बढ़ते कार्यभार, संसाधनों की कमी, लंबित पदोन्नति, अतिरिक्त जिम्मेदारियों और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को झेल रहे हैं। इसके बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उनके अनुसार मंडल में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोला जाए। वर्ष 2025 में लिए गए आवेदनों के आधार पर लेखपालों के स्थानांतरण किए जाएं।

ग्राम सचिवालयों में लेखपालों के लिए अलग से कक्ष, फर्नीचर, सुरक्षित अभिलेख कक्ष, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली-पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इन सभी मांगों को लेकर एसडीएम सुरभि शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान रवि कुमार, अनिल कुमार, विकास कुमार, ऋषि, एकता मौजूद रहे। एसडीएम सुरभि शर्मा ने उनका ज्ञापन शासन को भेजने की बात कही।

संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर धरने पर बैठे लेखपाल। संवाद

विवादित मस्जिद को नहीं हटाने पर धरना देने की चेतावनी

संवाद न्यूज एजेंसी

बड़ौत। हिंदू जनजागरण अभियान के तहत नगर में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे स्थित शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां यशवीर महाराज ने कहा कि हिंदू एकता पर जोर देते हुए सात अक्तूबर को बधरा में होने वाले सम्मेलन में अधिक संख्या में लोगों से पहुंचने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और परंपरा की जानकारी समाज की नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने नगर के कमला नगर स्थित मस्जिद पर कहा कि यदि मस्जिद वैध है तो उस पर अवैध का नोटिस क्यों चस्पा किया गया। उन्होंने कहा कि यदि सात अक्तूबर तक प्रशासन ने मस्जिद को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई तो वे विवादित स्थल पर धरना देकर यज्ञ शुरू करेंगे।

इस मौके पर मधुसूदन शास्त्री, अंकित बड़ौली, आलोक शास्त्री, प्रवीण आचार्य, आकाश त्यागी, अनुज जैन, राजीव भारद्वाज और प्रमोद सभासद उपस्थित रहे।

सात अक्तूबर को बधरा में होगा हिंदू सम्मेलन

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना
E-Auction के आधार पर

परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति प्रबंधन, पीएनबी भवन सी 01 वेद्व व्यास पुरी, दिल्ली बाईपास रोड, मेरठ– 250002, ई–मेलः **cs8278@pnb.bank.in**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6 (2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

इसके द्वारा सामान्य जनसाधारण को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में बंधक/चार्ज की गई है तथा जिसकी निर्मित/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर विक्रय किया जाएगा। यह विक्रय संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के बकाया देयकों की वसूली हेतु किया जा रहा है। संबंधित संपत्तियों के लिए आरक्षित मूल्य तथा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	शाखा/खाता/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण दृष्टिबंधक/प्रभार/बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधककर्ता)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना (सी) दिनांक 30.09.2026 तक शेष राशि (डी) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(4) की तिथि (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिज़र्व मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/दिनांक / सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	**शाखाः बागपत रोड, मेरठ (369800)** मैसस बंसल ट्रेडर्स (प्रोपराइटर द्वारा प्रतिनिधित्व), पता 1ः राम लीला ग्राउंड के सामने, अग्रवाल कॉलोनी, दिल्ली रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250002, पता 2ः जीएफ-11, कन्हैया वाटिका, बागपत रोड, मेरठ- 250002, श्रीमती सविता बंसल पत्नी श्री सुनील बंसल (**गारन्टर एवं बंधककर्ता**), पता 1ः जीएफ-11, कन्हैया वाटिका, बागपत रोड, मेरठ- 250002, पता 2ः जीएफ-05, कन्हैया वाटिका, कैलाश हॉस्पिटल के सामने, बागपत रोड, मेरठ-250002। श्रीमती तनू बंसल पुत्री श्री अरविन्द कुमार मित्तल (**प्रोपराइटर**), पताः माजरा रोड, मौहल्ला- धीमान पुरा, प्रबुद्ध नगर, शामली, उत्तर प्रदेश- 247776	बंधक आवासीय फ्लैट नं0 जीएफ-11, प्लॉट नं0 11 का भाग, खसरा नं0 1759 मि, कन्हैया वाटिका बागपत रोड, मेरठ, कुल माप क्षेत्रफल 100.53 वर्ग मीटर, कन्हैया वाटिका, बागपत रोड, मेरठ, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती सविता बंसल पत्नी श्री सुनील कुमार बंसल।	(क) 22.10.2021 (ख) रू0 43,50,737.42 + ब्याज दिनांक 01.10.2021 + कानूनी एवं अन्य खर्चे यदि कोई हो (ग) रू0 **59,77,517.62** + ब्याज दिनांक 01.10.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 25.01.2022 (ङ) भौतिक कब्जा	रू0 35.10 लाख रू0 3.51 लाख रू0 0.35 लाख	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.10.2026	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः पांडव नगर, मेरठ** मैसर्स मेट्रो एम्यूजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (**ऋणी**), पताः 185, आबू प्लाजा, आबू लेन, मेरठ, उ0प्र0- 250002, श्री विवेक गर्ग पुत्र श्री श्याम सिंह (**डारयेक्टर + गारन्टर**), 130, लाला का बाजार, मेरठ, उ0प्र0- 250002, श्रीमती शिवानी गर्ग पत्नी विवेक गर्ग (**गारन्टर**), पताः 130, लाला का बाजार, मेरठ, उ0प्र0-250002	बंधक दुकान नं0 एम-201, द्वितीय तल, सम्पत्ति नं0 185 का भाग, अबू प्लाजा, आबू लेन, मेरठ, माप क्षेत्रफल 63.00 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी मैसर्स मेट्रो एम्यूजमेंट प्राइवेट लिमिटेड।	(क) 10.06.2019 (ख) रू0 44,77,657.99 + ब्याज दिनांक 30.05.2019 + कानूनी एवं अन्य खर्चे यदि कोई हो (ग) रू0 **1,07,03,471.11** + ब्याज दिनांक 01.10.2026 से कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 27.10.2023 (ङ) भौतिक कब्जा	रू0 61.00 लाख रू0 6.10 लाख रू0 0.65 लाख	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.10.2026	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः गढ़ रोड, मेरठ** 1. मैसर्स सावी इंटरप्राइजेज, (प्रो0 गौरव बंसल पुत्र कृष्ण कुमार बंसल), 97/4, कम्बोह गेट, घंटाघर, मेरठ- 250001। 2. गौरव बंसल पुत्र कृष्ण कुमार बंसल (**प्रोपराइटर**), पताः 858/10, फुल बाग कॉलोनी, मेरठ- 250002, श्रीमती उमा गोयल पत्नी सुशील कुमार (**गारन्टर/बंधककर्ता**), एम-16, भूतल प्लॉट नं0 16, खसरा नं0 994, एम0पी0 नगर राजापुर, जिला- गाजियाबाद, उ0प्र0।	बंधक एक आवासीय मकान माप 60 वर्ग मीटर, प्लॉट नं0 16 पर निर्मित खसरा नं0 994, स्थित महाराणा प्रताप नगर ग्राम-राजापुर तहसील एवं जिला- गाजियाबाद, उ0प्र0, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती उमा गोयल पत्नी श्री सुशील कुमार। सीमाएँः- पूर्वः सम्पत्ति नं0 एम-142, पश्चिमः प्लॉट नं0 15, उत्तरः 30 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति।	(ए) 18.11.2021 (बी) रू0 29,89,984.22 + ब्याज दिनांक 01.11.2021 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 58,48,199.11 + ब्याज दिनांक 01.10.2026 से + कानूनी एवं खर्चे एनपीए के बाद (डी) 08.03.2022 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 30.00 लाख रू0 3.00 लाख रू0 0.30 लाख	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.10.2026	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः बागपत रोड, मेरठ** मैसर्स एच.आर एक्सपोर्ट (**फर्म**) मृतक डिंपल रानी चढ़ढा के स्वामित्व में, पताः बी 05, वैशाली कॉलोनी, गढ़ रोड, जिला- मेरठ उत्तर प्रदेश - 250001, श्री कमल चढ़ढा (गारन्टर और मृतक डिंपल रानी चढ़ढा के कानूनी उत्तराधिकारी), पता बी-05 नई सड़क वैशाली कॉलोनी गढ़ रोड, मेरठ- 250001, श्री साहिल चढ़ढा (गारन्टर और मृतक डिंपल रानी चढ़ढा के कानूनी उत्तराधिकारी), पता बी-05 नई सड़क वैशाली कॉलोनी गढ़ रोड, मेरठ- 250001, श्रीमती अन्नू कपूर उर्फ सुनीता पत्नी श्री अनिल कपूर (मृतक श्रीमती कमलेश रानी के कानूनी उत्तराधिकारी), पताः म.नं. 25, फेस 2 मयूर विहार, मेरठ- 250004, श्रीमती अनिता रानी पत्नी श्री अजय मंगा (मृतक श्रीमती कमलेश रानी के कानूनी उत्तराधिकारी), पताः 173-ए/7, आबूलेन, सदर मेरठ-250001, श्री संजय कुमार चढ़ढा पुत्र स्व. हंसराज चढ़ढा (मृतक श्रीमती कमलेश रानी के कानूनी उत्तराधिकारी), पताः सी-22, शास्त्रीनगर, मेरठ-250004	एक आवासीय मकान नं0 बी-5, माप 301 वर्ग मीटर, खसरा नं0 5820 का भाग, स्थित वैशाली कॉलोनी, गढ़ रोड़, मेरठ, तहसील एवं जिला- मेरठ, सम्पत्ति स्वामी स्व0 श्रीमती कमलेश रानी पत्नी स्व0 हंसराज चड्ढ़ा।	(ए) 20.12.2022 (बी) रू0 3,54,58,331.80 + ब्याज दिनांक 01.12.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 5,53,78,931.11 + ब्याज दिनांक 01.10.2026 + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (डी) 24.02.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 305.00 लाख रू0 30.50 लाख रू0 3.05 लाख	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.10.2026	ज्ञात नहीं
5	**शाखाः मंगल पांडेय नगर, मेरठ (620400)** श्री विशाल पाठक पुत्र श्री देवेन्द्र, पता 1ः फ्लैट नं0 603-604, नवकार वाटिका गंगा नगर, मेरठ- 250004, पता 2ः मकान नं0 37, गोल्डन एवेन्यू फेस-3, मोदीपुरम, मेरठ। श्रीमती अनिता सहाय (**गारन्टर**) पत्नी श्री प्रमोद कुमार सहाय, 738/3, जग्रति विहार, मेरठ।	**सम्पत्ति नं0 1.** बंधक आवासीय फ्लैट नं0 603 के सभी भाग व भूखंड, छठा तल, स्थित नवकार वाटिका, निकट गंगा नगर, मेरठ, माप क्षेत्रफल 116.12 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री विशाल पाठक। सम्पत्ति का विवरण पंजीकृत विलेख के अनुसार बुक नं0 1, वॉल्यूम 12015, पेज नं0 299 से 326, क्र0सं0 983, दिनांक 27.01.2018, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस मेरठ- 1 पर पंजीकृत है। **सम्पत्ति नं0 2.** बंधक आवासीय फ्लैट नं0 604 के सभी भाग व भूखंड, छठा तल, स्थित नवकार वाटिका, निकट गंगा नगर, मेरठ, माप क्षेत्रफल 116.12 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री विशाल पाठक। सम्पत्ति का विवरण पंजीकृत विलेख के अनुसार बुक नं0 1, वॉल्यूम 12015, पेज नं0 271 से 298, क्र0सं0 982, दिनांक 27.01.2018, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस मेरठ- 1 पर पंजीकृत है।	(ए) 12.08.2025 (बी) रू0 42,13,187.45 + ब्याज दिनांक 29.07.2025 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 48,56,945.24 + ब्याज दिनांक 01.10.2026 से + कानूनी एवं अन्य शुल्क एनपीए के बाद (डी) 30.10.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	**सम्पत्ति नं0 1** रू0 31.00 लाख रू0 3.10 लाख रू0 0.35 लाख **सम्पत्ति नं0 2** रू0 31.00 लाख रू0 3.10 लाख रू0 0.35 लाख	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.10.2026	ज्ञात नहीं

विक्रय सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन होगा तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगीः-

1. संपत्तियों का विक्रय ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जाएगा।
2. उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, तथापि इस घोषणा में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण अथवा चूक के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. विक्रय, अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी मंच के माध्यम से www.pnbindia.in एवं https://baanknet.in वेबसाइट पर दिनांक 27.10.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक किया जाएगा।
4. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को आरक्षित मूल्य से कम से कम एक बोली अधिक लगाना अनिवार्य होगा।
5. विक्रय की विस्तृत शर्तों एवं नियमों के लिए कृपया www.pnbindia.in एवं https://baanknet.com वेबसाइट देखें।

हस्ताक्षरित-
श्री विकास कुमार
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक

दिनांकः 01.10.2026 | स्थान – मेरठ | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार